



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

क/एफ-169/स्टे.आयु./2022-23/4513

भिलाई, दिनांक 10/11/22


// आदेश //


मैं रोहित व्यास (भा.प्र.से.) आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन नगर पालिक निगम भिलाई के जोन कार्यालयों को प्रशासनिक एवं वित्तीय रूप से सशक्त बनाने एवं कार्यों का सुचारू रूप से शीघ्रता से निराकरण की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा नियुक्त/आदेशित जोन आयुक्तों को निम्नानुसार शक्तियों एवं अधिकारों को प्रत्यायोजित करता हूँ।

1. संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ का पत्र कं./चार/ले. अनु/2015-16/9238 नवा रायपुर दिनांक 15.09.2015 के अनुसार संधारण/मरम्मत के कार्यों की सूची में सड़क मरम्मत, पुल-पुलिया मरम्मत, सड़क पैच-वर्क, नाली मरम्मत, उद्यान संधारण, प्रकाश व्यवस्था संधारण, पेयजल वाहनी मरम्मत एवं निकायों के स्वामित्व वाले भवन जैसे- सामुदायिक भवन, कार्यालय भवन, स्कूल भवन आदि उक्त भवनों को संधारण/मरम्मत/पोताई कार्य तथा मरम्मत कार्य हेतु प्राप्त राशि का 20 प्रतिशत वाहन मरम्मत कार्य में किये जाने का निर्देश जारी किया गया है।
2. मूलभूत मद की राशि का उपयोग विद्युत बिल, वेतन, पेट्रोल-डीजल, स्टेशनरी आदि पर व्यय नहीं किया जा सकेगा।
3. मूलभूत मद की राशि का उपयोग केवल संधारण, मरम्मत व्यय में ही किया जा सकेगा। मरम्मत सामग्री को छोड़कर नई सामग्री फिटिंग आदि के लिए व्यय नहीं किया जायेगा।
4. मरम्मत संधारण मद में कार्यों के लिए आबंटित निधि की राशि का किसी एक कार्य में उपयोग करने हेतु अधिकतम लागत सीमा 4.00 लाख रुपये तक निर्धारित की गई है। लेखा विभाग द्वारा एक वर्ष के लिये बजट आबंटित किया जायेगा, जिसे प्रत्येक कार्य के लिये 4.00 लाख की सीमा अंतर्गत् पुर्नबंटित कर कार्य कराया जावे।
5. उपरोक्त कण्डिका कमांक-1 में वर्णित संधारण कार्यों के लिये वित्तीय सीमा तक प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निविदा की कार्यवाही, अनुबंध, कार्यादेश एवं भुगतान किये जाने हेतु जोन आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
6. वित्तीय वर्ष में निकाय का मरम्मत संधारण मद (मूलभूत) में प्राप्त होने वाली राशि को किस्तों में जारी किया जायेगा। जारी किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतिमाह एक तारीख को अनिवार्य रूप से लेखा शाखा में प्रस्तुत किया जावे। जारी किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी किस्त जारी किया जायेगा।

//2//

7. उक्त मद में एजेंसी देयकों से कटौती की गई आयकर, जी.एस.टी., अमानत, कर्मकार एवं समस्त प्रकार के कटौती कर भुगतान निर्धारित समयावधि के अंतर्गत संबंधित विभाग को नियत समय पर कराया जाना सुनिश्चित करें। समस्त कार्यवाही नियमानुसार जोन आयुक्त द्वारा किया जावेगा।
8. छत्तीसगढ़ भंडार क्य नियम एवं पी.डब्लू.डी. वर्क्स मेन्यूअल एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम एवं तत्संबंधित जारी शासन आदेशों का पालन अनिवार्य होगा।
9. जोन कार्यालय के अधीन समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति का अधिकार जोन आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
10. जोन कार्यपालन अभियंता एवं सहायक अभियंता को छोड़कर जोन कार्यालय के अधीन समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशासनिक नियंत्रण एवं अधिकारियों/कर्मचारियों पर सिविल सेवा आचरण नियम एवं सेवा भर्ती नियम में वेष्ठित प्रावधान हेतु जोन आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(रोहित व्यास)
भा.प्र.से.


आयुक्त
नगर पालिक निगम

भिलाई

भिलाई, दिनांक 10/11/2022

पृ. क / एफ-169 / स्टे.आयु. / 2022-23 / 4514

प्रतिलिपि:-

1. महापौर/सभापति महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त, जोन-1,2,3,4 एवं 5 नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. कार्यपालन अभियंता, जोन-1,2,3,4 एवं 5, जलकार्य/वाहन/स्टोर्स/ उद्यान/ कम्प्युटर/ भवन संधारण, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
7. लेखाधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को निगम के वेबसाईट (आदेश फाईल) में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
9. संबंधित विभाग प्रमुख
नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।


आयुक्त
नगर पालिक निगम

भिलाई